आरटीआई मामला/समयबद्ध

भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
नई दिल्ली

सं. ई -551/01/2024-आरटीआई

22 जनवरी, 2024

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहतमांगी गई सूचना।

कृपया अपने आरटीआई आवेदन पंजीकरण सं. एम्ओईएएफ/आर/ई/23/01783 का संदर्भ ग्रहण करें जो 08 जनवरी 2024 को अधोहस्ताक्षरी सीपीआईओ द्वारा प्राप्त हुआ था।

2. प्रश्न संख्या 1 के संदर्भ में मांगी गई जानकारी के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि 1963 में हस्ताक्षरित तथाकथित चीन-पाकिस्तान 'सीमा करार' के तहत, पाकिस्तान ने संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में जिन क्षेत्रों पर अवैध रूप से कब्ज़ा किया है उनमें से शक्सगाम घाटी में 5,180 वर्ग किलोमीटर भारतीय भू-भाग को अवैध रूप से चीन को सौंप दिया है। भारत सरकार ने 1963 के तथाकथित चीन-पाकिस्तान "सीमा करार" को कभी भी मान्यता नहीं दी है और वह लगातार इस बात पर कायम रहा है कि यह अवैध और अमान्य है। इस तथ्य से पाकिस्तानी और चीनी प्राधिकारियों को कई बार स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया है कि जम्मू एवं कश्मीर तथा लदाख संघ राज्य क्षेत्रों का समग्र भू-भाग भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर कई संसदीय प्रश्नों का उत्तर दिया है। यह सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। दो संगत उत्तरों की प्रतियाँ आपके संदर्भ हेतु संलग्न हैं।

3. प्रश्न सं. 2 के संबंध में, सूचना अधोहस्ताक्षरी सीपीआईओ के पास उपलब्ध नहीं है और इसे आवश्यक कार्रवाई हेतु रक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित किया जा रहा है ताकि वे अपने स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करें।

4. यहभी सूचित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत , सीपीआईओ/लोक प्राधिकारी का यह दायित्व होता है कि वह आवेदक को केवल वही सूचना प्रदान करे जो रिकॉर्ड में उपलब्ध है तथा जो उस प्राधिकारी के पास अथवा उसके नियंत्रण में है।

5. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इस पत्र की प्राप्ति की तारीख से एक माह के भीतर श्री अनिकेत जी. मांडवगणे, निदेशक (पूर्वी एशिया) एवं अपीलीय प्राधिकारी, विदेश मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं।

भवदीया,

(प्रियंका सोहोनी)
उप सचिव (चीन) एवं सीपीआईओ
कक्ष सं. 270 ए , साउथ ब्लॉक,
नई दिल्ली-110001
टेलीफैक्स: 23011356
ईमेल: dschina2@mea.gov.in

प्रति प्रेषित:

1. उपसचिव (पाक) एवं सीपीआईओ, विदेश मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली;
2. अवरसचिव (आरटीआई), जेएनबी, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली;
3. अवरसचिव (आरटीआई), कक्ष सं. 4, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली *[आवेदक को सीधे उत्तर देने के अनुरोध के साथ]*

भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2757

12.12.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

चीन और पाकिस्तान द्वारा गैर-कानूनी रूप से अधिकृत भूमि

2757. श्री वाई. एस. चौधरीः

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान के स्वशासी प्रशासन द्वारा गैर-कानूनी रूप से कब्जा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि चीन ने भी कथित चीन-पाकिस्तान सीमा करार, 1963 के तहत पाक अधिकृत कश्मीर में भारतीय भू-भाग पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई/की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

[श्री वी. मुरलीधरन]

(क) से (ङ) पाकिस्तान ने संघ शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में लगभग 78,000 वर्ग किलोमीटर के भारतीय भू-क्षेत्र में अवैध कब्जा किया हुआ है। 2 मार्च 1963 को चीन और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित तथाकथित 'सीमा समझौते' के तहत, पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में भारतीय भू-क्षेत्र के 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अवैध रूप से चीन के हवाले कर दिया है ।

भारत की अटल और सैद्धांतिक स्थिति, जिसका 1994 में सर्वसम्मति से स्वीकार किए गए संसद के संकल्प में भी स्पष्ट उल्लेख किया गया था, यह है कि पूरा संघ शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग रहे थे, हैं, और रहेंगे। हम निरंतर पाकिस्तान से कहते आ रहे हैं कि वह अपने अवैध और जबरन कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को खाली करे।

***

भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या **648**

04.02.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

शक्सगाम घाटी

648. श्री श्याम सिंह यादव:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 1963 से अवैध रूप से चीन के कब्जे वाली भारत की शक्सगाम घाटी को वापस करने के लिए चीन से बातचीत करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत ने चीन के साथ इस मुद्दे को कितनी बार उठाया है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) से (ग) चीन ने पिछले छह दशकों से भारत के संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर भू-भाग पर अवैध कब्जा कर रखा है। इसके अलावा, 1963 में हस्ताक्षरित तथाकथित चीन-पाकिस्तान 'सीमा करार' के तहत, पाकिस्तान ने संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में जिन क्षेत्रों का अवैध रूप से कब्जा किया है उनमें से शक्सगाम घाटी में 5,180 वर्ग किलोमीटर भारतीय भू-भाग को अवैध रूप से चीन को सौंप दिया है।

भारत सरकार ने 1963 के तथाकथित चीन-पाकिस्तान "सीमा करार" को कभी भी मान्यता नहीं दी है और वह लगातार इस बात पर कायम रहा है कि यह अवैध और अमान्य है। यह तथ्य से पाकिस्तानी और चीनी प्राधिकारियों को कई बार स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया है कि जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों का समग्र भू-भाग भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है।

***

पाकिस्तान ने 1963 में लगभग 5300 वर्ग किलो मीटर भारतीय क्षेत्र चीन को उपहार में दे दिया था। इस संदर्भ में निम्नांकित जानकारी प्रदान की जावे

(1) क्या इस भू भाग की वापसी के लिए भारत ने यह मुद्दा किसी अंतर राष्ट्रीय मंच पर उठाया है, यदि हाँ तो इसकी पूर्ण जानकारी दी जावे ?

(2) क्या भारतीय सरकार/ सेना ने इस भूभाग के बराबर कोई और पाकिस्तानी जमीन चिह्नित की है जिस पर अगले युद्ध के समय कब्जा किया जा सके?

RTI REQUEST DETAILS (आरटीआई अनुरोध विवरण)

Registration Number (पंजीकरण संख्या) :	MOEAF/R/E/23/01783	**Date of Receipt (प्राप्ति की तारीख) :**	27/12/2023
Type of Receipt (रसीद का प्रकार) :	Online Receipt	**Language of Request (अनुरोध की भाषा) :**	English
Status (स्थिति)(Rural/Urban) :	Urban	**Education Status :**	Above Graduate
Is Requester Below Poverty Line ? (क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे का है?) :	No	**Citizenship Status (नागरिकता)**	Indian
Amount Paid (राशि का भुगतान) :	10) (original recipient)	**Mode of Payment (भुगतान का प्रकार)**	Payment Gateway
Does it concern the life or Liberty of a Person? (क्या यह किसी व्यक्ति के जीवन अथवा स्वतंत्रता से संबंधित है?) :	No(Normal)	**Request Pertains to (अनुरोध निम्नलिखित संबंधित है) :**	DS (China), Ms. Priyanka Sohoni
Information Sought (जानकारी मांगी):	as attached		

Print Save Close